रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220602
CG-DL-E-20072020-220602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/ आषाढ़ 29, 1942
No. 350] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASADHA 29, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 454(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम 01 सितंबर, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के, नियम 5 में, उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) उप-नियम (1) से उप-नियम (3) में किसी अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार अनुसूची के पैरा 1 और 2 में उपबंधित विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का संशोधन, आगामी चक्रानुक्रम अवधि के लिए नई विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों द्वारा नहीं करती है तो विद्यमान विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी (चित्र-2) 30 नवम्बर, 2020 तक की और अवधि के लिए जारी रहेंगी" ।

[फा. सं. पी-16012/03/2020-टीसी]

विकास शील, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा तारीख 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा इसमें तारीख 3 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 331 (अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section (2) of section 8, section 10 and section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Second Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2020.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, in rule 5, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), if the Central Government does not amend the specified health warnings provided in paragraphs 1 and 2 of the Schedule with the new specified health warnings for the next rotation period, then the existing specified health warning (Image-2), shall continue for a further period till the 30th day of November, 2020."

[F. No. P. 16012/03/2020-TC]

VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 182 (E), dated the 15th March, 2008 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 331(E), dated the 03rd April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.20 20:46:38 +05'30'